aii ea

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

cz iea

परिपत्र/विशेष

क्षेत्रीय कामकाजी महिला समन्वय समिति

दिनांक : 05.3.2020

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

विषय : 8 मार्च महिला दिवस।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्राय: हम सब जानते हैं कि इस दिन को हम महिलाओं के संघर्ष को याद करके इसे उत्सवित किया जाता है और यह उत्साह अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर संघर्ष करने के लिए तैयार रहने के लिए उत्साह का संचार करता है। महिलाओं का यह संघर्ष 8 मार्च 1857 से शुरु हुआ था जब अमेरिका के न्यूयार्क की कपड़ा मिल में काम करने वाली महिलाओं ने काम की स्थितियों में सुधार और कम के समय को कम करने की मांग को लेकर पहली बार जुलूस निकाल कर धरना दिया, जैसा कि अपेक्षित था संघर्ष करने वालों को तीव्र दमन का सामना करना पड़ा। मालिक मांग करने वालों को, संघर्ष करने वालों को कब पसंद करते हैं और अब तो हम भी जानते हैं कि शासन हमेशा मालिकों का साथ देते हैं। 1857 के संघर्ष की स्वर्ण जयंती 1907 को हुई। तीव्र दमन के कई वर्षों के बाद 8 मार्च 1908 को न्यूयार्क के ही सुई उद्योग की महिला कर्मचारियों ने पुन: काम की स्थितियों में सुधार, काम के समय को कम करने, वोट देने के अधिकार और समानता की मांग को लेकर संघर्ष प्रारंभ किया और जारी रखा जिससे उन्हें कुछ सफलता भी मिली। सफलता ने संघर्षों के प्रति उनका उत्साह और बढ़ाया। इसके बाद 1910 में जब कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के सम्मेलन में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता क्लारा जेटकिन ने प्रस्ताव रखा कि महिलाओं के संघर्षों और मांगों को यादगार बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाये तब कामकाजी महिलाओं के अधिकारों, श्रम कानून, मताधिकार और शांति की मांग को शामिल करते हुए 8 मार्च का दिन तय हुआ और अब 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है।

हम आज देखते हैं अनेक देशों में महिलाएं संघर्षों में नेतृत्व कर रही हैं। हमारे अपने देश में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग, दिल्ली में महिलाएं धरना दे रही हैं और फिर उनके समर्थन में बहुत से राज्यों के अनेक शहरों में शाहीन बाग बने। 2 माह से अधिक समय से चल रहे शाहीन बाग का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। सूडान में आला सालाह जुल्म, जबर्दस्ती और गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष की पहचान बनी और राष्ट्रपति उमर-अल-बशीर को गद्दी से उतार दिया, लेबनान में महिलाओं ने 'क्रांति का दूसरा नाम महिला है' का नारा देकर संघर्ष किया और तख्ता पलटन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, ईरान, ईराक, हांगकांग में महिलाएं विरोध और बदलाव का चेहरा बनकर संघर्ष के मैदान में उतरी हैं। पूरी दुनिया में संघर्ष में महिलाएं नेतृत्व कर उनकी स्थिति को बेहतर कर रही हैं। इसका उदाहरण है सऊदी अरब जहां महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी वहां अब बेहतरी के समचार मिलने लगे हैं जैसे पढ़ाई करने की इजाजत, स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाने, गाड़ी चलाने की इजाजत के बाद वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला और अब वहां महिलाओं की फौज में शामिल होने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब हमारे देश की फौज में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जायेगा।

संघर्षों की अभी भी जरूरत है क्योंकि चाहे विश्व स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता का लक्ष्य अब भी बहुत दूर है। अब भी दो तिहाई देशों में महिलाएं भोजन की कमी से जूझ रही हैं, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में गर्भ के दौरान या प्रसव के दौरान मृत्यु हो रही है, पढ़ाई पूरी करने के पहले ही लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। महिलाओं के साथ हिंसा से तो कोई भी स्थान अछूता नहीं है चाहे घर हो, कार्यस्थल हो, मनोरंजन स्थल हो, रास्ता हो या यातायात के साधन न ही उम्र की कोई सीमा है, एक वर्ष की बच्ची से लेकर 80 वर्ष की महिला को हिंसा का शिकार बनाया जाता है। हमारे देश के मध्यप्रदेश के डूंगरपुर गांव में तो बलात्कार की शिकार महिला को शुद्धिकरण के नाम पर गांव वालों को भोज देने की घटना भी होती है। महाराष्ट्र के बीड़ की महिलाएं मजदूरों ने काम से छुट्टी लेने पर वेतन

न मिलने और जुर्माना देने से बचने के लिए अपना गर्भाशय ही निकलवा कर अपनी नैसर्गिकता खो रही हैं। गुजरात के भुज में सहजानंद कॉलेज के छात्रावास को अपमानित करने का मामला। महिलाओं की स्थिति बताते यह उदाहरण पर्याप्त नहीं हैं? स्थिति और भी बुरी है, कितना लिखा जा सकता है। दरअसल, हमारे यहां की न्याय व्यवस्था भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, वर्षों गुजर जाते हैं अपराधी को सजा नहीं होती, निर्भया मामला ही सामने है। अपराधी यदि शासक वर्ग से हो तो जुर्म दर्ज करने, गिरफ्तार करने में जितनी देरी हो जाती है जमानत देने में उतनी ही शीघ्रता होती है और हिंसा की शिकार महिला और उसके परिवार का जीवन खतरे में आ जाता है। वे लोग जो हर बात में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अपनी पार्टी के अपराधियों के मामले में चुप रहते हैं। ये सामान्य समझ की बात है कि महिला महिला है और अपराधी अपराधी, चाहे वो आपकी पार्टी का हो, परिवार का हो, परिचित का हो या रिश्तेदार। अपराध हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठायें।

8 जनवरी 2020 को सरकार की नीतियों के खिलाफ 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। सरकार की नीतियों के चलते महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में इतनी कभी नहीं हुई थी, रोजगारशुदा लोग रोजगार खो रहे हैं अर्थात आय कम हो रही है या समाप्त हो रही है। Periodic Labour Survery की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के मामले में बेरोजगारी दुगुनी हो गई है। पहले ही उन्हें वेतन पुरुषों की अपेक्षा आधा या 2 तिहाई मिलता था अब समाप्त हो रहा है। इन सबके कारण राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड के अनुसार हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। इन सबका असर परिवार पर पड़ता है और चूंकि परिवार की देखभाल का दारोमदार महिला पर होता है इसीलिए महिलाओं पर मानसिक रूप से दबाव पड़ता है। एआईआईईए के नागपुर सम्मेलन में हमारा नारा रहा 'नेता नहीं नीति बदलो' वास्तव में आज आवश्यकता है देश की आम जनता के हित में नीतियों का निर्धारण किया जाये जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा मिले, समानता और भाईचारा की भावना विकसित हो। हम महिलाओं को भी अंधविश्वास, रुढ़िवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ शिक्षित होने की जरूरत है।

हम बीमा कर्मचारियों ने एआईआईईए के नेतृत्व में अनेक संघर्ष किये हैं और विजय हासिल किया है। पेंशन के अंतिम विकल्प, जिसके लिए संसद में कहा जा चुका था कि अब और कोई विकल्प नहीं दिया जायेगा, हमने अपने संघर्षों से प्राप्त किया। नई भर्ती भी हमने लंबे संघर्षों से हासिल की है और फरवरी माह में 8000 नये सहायकों का भारतीय जीवन बीमा निगम में आगमन हुआ। निश्चित रूप से विजय हासिल करने से हममें उत्साह का संचार होता है और हम हौसले के साथ अगले संघर्षों के लिए तैयार होते हैं। अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के रूप में है इसमें हमारे संघर्षों की सबसे अहम भूमिका है, यह हमारे देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान है। इस बार बजट में वित्तमंत्री ने एलआईसी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने का प्रावधान रखा है, इसका मतलब हमारे उद्योग के निजीकरण की ओर पहला कदम, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। बजट में इस घोषणा के तुरंत बाद हमने 4 फरवरी को 1 घंटे की बहिर्गमन हड़ताल कर विरोध दर्ज किया है और हमें आगे तीव्र संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा कि एनडीए की सरकार ने ही बीमा उद्योग में एफडीआई लाया, पहले 26 प्रतिशत, फिर 49 प्रतिशत और अब 74 प्रतिशत की तैयारी है, वैसे ही एलआईसी के शेयर, धीरे-धीरे बढ़ाते हुए निजी हाथों में देने की साजिश को हमें समझना होगा और आम जनता को भी समझाना होगा। इसके साथ ही हम बीमा उद्योग में एफडीआई के वृद्धि के खिलाफ, बीमा के प्रीमियम से जीएसटी हटाने के लिए, आयकर में प्रीमियम की राशि को 80सी बनाये रखने, सांप्रदायिकता के खिलाफ और अपने देश के संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करना है और संघर्ष का विस्तार करना होगा। निश्चित है कि महिलाओं सहित सभी बीमा कर्मचारी इसमें अपना अपना योगदान देंगे।

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उत्सवित करते हुए सभी मंडलीय और शाख इकाइयों में सभा, सेमीनार, गोष्ठी का आयोजन करें। जिन भी संस्थाओं को हमारी मदद की जरूरत हो, मदद करें। इन सभी कार्यक्रमों में समाज में महिलाओं के योगदान, महत्व और संघर्षों को रेखांकित करें अन्यथा इस दिवस का उपयोग बाजार द्वारा मुनाफा कमाने के लिए केवल उपहारों के लेन-देन और सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री के लिए किया जाता रहेगा। जैसे हमारे देश की सरकार गांधीजी के सत्य, अहिंसा, सदाचार, अस्पृश्यता, भाईचारा, समानता जैसे विचारों को छोड़कर केवल सफाई अभियान ही बता रही है। अपने संघर्षों को याद रखें, सबको बताएं, उन पर गर्व करें और आगे के संघर्षों के लिए तैयार रहें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

आपकी साथी

(ऊषा परगनिहा)

संयोजिका